

दिशा-निर्देश

- फिल्म एक डॉक्यूमेंट्री, प्रयोगात्मक, कथात्मक, काल्पनिक, गैर-काल्पनिक या एनीमेशन हो सकती है। मूल फिल्म यथासंभव उच्चतम गुणवत्ता (1920x1080 या उससे ऊपर) की सड़क सुरक्षा थीम पर आधारित होनी चाहिए।
- 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़' में भाग लेने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और आयोजक टीम से कोई भी कभी भी किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं मांगेगा।
- प्रतिभागी की आयु 18 वर्ष और उससे अधिक होनी चाहिए।
- एक प्रतिभागी के लिए अधिकतम तीन प्रविष्टियों की अनुमति है।
- फिल्म की कुल अवधि क्रेडिट सहित (फ्रंट और एंड) अधिकतम 120 सेकंड (2 मिनट) हो सकती है।
- 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़' दो श्रेणियों में प्रस्तुतियाँ स्वीकार करेगा - (ए) छत्तीसगढ़ी भाषा (छत्तीसगढ़ी, गोंडी, ध्रुव, भतरी, दोराली, संबलपुरी, कुड़ख, सदारी, बैगानी, कमारी, औरिया, सरगुजिया, दंतेवाड़ा गोंडी, भुजिया, आदि) और (बी) हिंदी भाषा, सभी प्रविष्टियों के लिए हिंदी में उपशीर्षक अनिवार्य है।
- प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्में प्रवेशकर्ताओं का मूल काम होना चाहिए और किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने अपनी लघु फिल्मों में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और/या छवियों के संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त कर ली हैं।
- किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और अश्लील/वयस्क फिल्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा और 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़' से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- छत्तीसगढ़ पुलिस एवं अंतरविभागीय लीड एजेंसी (सड़क सुरक्षा) को अधिकार है महोत्सव के प्रचार उद्देश्यों के लिए प्रविष्टियों (भेजी/चयनित/नामांकित फिल्में) और फिल्म की सामग्री का उपयोग करना, और प्रत्येक फिल्म की प्रतियों को हमारे महोत्सव पुस्तकालय के हिस्से के रूप में बनाए रखना।
- सभी प्रविष्टियाँ चाहे पुरस्कृत हों या नहीं, छत्तीसगढ़ पुलिस और संबंधित एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक हित के बिना सड़क सुरक्षा जागरूकता के लिए उपयोग की जा सकती हैं।
- एक बार चयनित और अंतिम स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत की गई फिल्मों को महोत्सव समाप्त होने तक किसी भी परिस्थिति में वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- प्रवेश के साथ फिल्म का एक डिजिटल पोस्टर (सोशल मीडिया क्रिएटिव) संलग्न करना होगा। जमा की गई सामग्री आवेदक को वापस नहीं की जाएगी।
- फिल्में समय सीमा से पहले जमा की जानी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में देर से प्रस्तुति स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़' किसी भी क्षति, के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- गलत/अपर्याप्त/अस्पष्ट/अपूर्ण विवरण वाले प्रवेश प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। महोत्सव समिति बिना कोई कारण बताए किसी भी फिल्म को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित

रखती है।

- एक बार चयन के लिए प्रस्तुत की गई फिल्म को अंतिम माना जाएगा और प्रस्तुत करने के बाद किसी भी बदलाव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- विजेताओं (प्रथम, द्वितीय और तृतीय) के चयन के लिए जूरी का मूल्यांकन अंतिम होगा
- कोई भी प्रतियोगी जूरी के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगा।
- मुख्य कार्यक्रम के दिन, प्रत्येक भाग लेने वाली टीम का कम से कम एक सदस्य उपस्थित होना चाहिए। (हम मुख्य कार्यक्रम के दिन पूरी टीम को शामिल करना पसंद करेंगे)
- परिवहन और आवास की लागत प्रतिभागी की जिम्मेदारी है। कोई भुगतान या अन्य प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

कानूनी

- प्रस्तुत की जाने वाली लघु फिल्मों प्रवेशकर्ताओं का मूल काम होना चाहिए और किसी भी कॉपीराइट या किसी तीसरे पक्ष के किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्रतियोगी इस बात से सहमत हैं कि उन्होंने आपकी लघु फिल्म में प्रस्तुत संगीत, ध्वनि और/या छवियों के संबंध में सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त कर ली हैं।
- लघु फिल्म जमा करते समय प्रतिभागी को सामग्री की मौलिकता के बारे में एक स्व-घोषित पत्र (हमारे द्वारा प्रदान किया गया) अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित और संलग्न करना होगा।
- महोत्सव में प्रवेश करके, प्रतिभागी इस बात से सहमत है कि 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़' आपके या आपकी लघु फिल्म द्वारा किए गए किसी भी कॉपीराइट उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव, छत्तीसगढ़' वैध समझे जाने वाले किसी भी फिल्म को प्रदर्शित न करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रवेशकर्ताओं पर किसी भी अपराध या उल्लंघन के लिए भारतीय आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय मीडिया कानून के अनुसार मुकदमा चलाने का जोखिम भी हो सकता है।
- प्रस्तुत की जा रही फिल्म के किसी भी हिस्से में नस्लीय, धार्मिक और क्षेत्रीय भेदभाव को चित्रित नहीं किया जाएगा।
- कानूनी मुद्दे, यदि कोई हों, रायपुर, छत्तीसगढ़ की न्यायिक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में आएं।
- किसी भी फिल्म निर्माता, संस्था या संगठन को 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का लघु फिल्म महोत्सव' नाम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। आयोजन समिति की अनुमति के बिना किसी भी व्यावसायिक, गैर-व्यावसायिक, सांस्कृतिक या व्यक्तिगत उपयोग के लिए 'राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा लघु फिल्म महोत्सव' नाम और त्यौहार के लोगो का उपयोग यदि कोई व्यक्ति या संस्था ऐसा करता पाया गया तो उस व्यक्ति या संबंधित संस्था के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी

Guidelines

- The film can be a documentary, experimental, narrative, fiction, non-fiction, or animation. The original film should be based on the **Road Safety theme** of the highest quality possible (1920x1080 or above).
- There are no entry fees for participating in the **‘National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh’** and no one from the organizing team will ever ask for any kind of charges.
- The participant has to be 18 years and above.
- Maximum three entries are allowed for one participant.
- Total duration of the film can be a maximum of **120 seconds (2 minutes)** in length, including front and end credits.
- The **‘National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh’** will accept submissions in two categories – (a) **Chhattisgarhi language** (Chhattisgarhi, Gond, Dhruva, Bhatari, Dorali, Sambalpur, Kudukh, Sadari, Baigani, Kamari, Auriya, Saragujia, Dantevada Gond, Bhujia, etc) & (b) **Hindi language**, subtitles in Hindi is a must for all the entries.
- Short films that are submitted must be the entrants’ original work and shall not infringe on any copyrights or any other rights of any third parties. Contestants agree that they have obtained all required permissions regarding music, sound, and/ or images presented in their short films.
- Any kind of social discrimination and adult content will **not be entertained and lead to disqualification from the ‘National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh’**.
- Chhattisgarh Police and Inter-Departmental Lead Agency (Road Safety) has the right to use the entries (sent/ selected /nominated films) and materials from the film for Festival promotional purposes, and to retain copies of each film as part of our festival library.
- All the entries whether awarded or not can be used for road safety awareness without commercial interest by Chhattisgarh Police & associated agencies.
- Films once selected & submitted for final screening will not be allowed to be withdrawn under any circumstances until the festival is over.
- **A digital poster (social media creative) of the film needs to be enclosed with the entry.** The materials submitted shall not be returned to the entrant.
- Films should be submitted before the deadline and any late submission will not be accepted under any circumstances.
- **‘National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh’** will not be responsible for any physical and material loss or damage, misdirection, theft, or misappropriated entries.

- Entry Forms with incorrect/inadequate/illegible/ambiguous/incomplete particulars will not be considered. The festival committee reserves the right to accept or refuse any film without assigning any reason whatsoever.
- Once the film is submitted for selection will be considered as final and no changes will be entertained after submission.
- The jury's assessment will be final for selecting the winners (first, second and third)
- No contestant shall appeal against the jury's decision.
- On the main event day, at least one member per participating team must be present. (We would love to have the whole team for the main event day)
- The costs of transportation and lodging are the participant's responsibility. There will be no payment or other form of compensation.

Legal

- Short films that are submitted must be the entrants' original work and shall not infringe on any copyrights or any other rights of any third parties. Contestants agree that they have obtained all required permissions regarding music, sound, and/ or images presented in your short film.
- **A self-declaration form (provided by us) about the originality of the content has to be mandatorily signed and attached by the participant while submitting the short film.**
- By entering the Festival, the entrant agrees that **'National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh'** will not be held liable for any copyright infringements perpetrated by you or your short film.
- **'National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh'** reserves the right to not screen any film(s) for any reason it deems valid. The entrants may also run the risk of being prosecuted as per the Indian Criminal Procedure Code and the Indian Media Law for any offense or infringement.
- Racial, religious, and regional discrimination shall not be portrayed in any part of the film being submitted.
- Legal issues, if any, shall fall under the jurisdiction of judicial courts in Raipur, Chhattisgarh.
- Any filmmaker, institution, or organization is strictly not allowed to use the **'National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh'** name. **'National Road Safety Short Film Festival, Chhattisgarh'** and festival logo and official selection laurel for any commercial, non-commercial, cultural, or personal use without the permission of the organizing committee. If any person or organization is found to do so, strict legal action will be taken against the person or concerned institution.